संख्या-47/2024/रा0क0सा0सं0/002-21-4002-001-2-2022

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,

अपर मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष,

राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान,

लखनऊ।

भाषा अनुभाग -4 लखनऊ : दिनांक: 13मार्च, 2024

विषय:-राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान को वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर–वेतन) मद में प्राविधानित बजट के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने विषयक ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-516/02/2024/अनुदान/रा0क0सा0सं0, लखनऊ, दिनांक: 08 फरवरी, 2024 के संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदया चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 में राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान , लखनऊ को राज्य कर्मचारियों को उनकी मौलिक साहित्यिक सेवा के लिए पुरस्कृत किये जाने हेतु अनुदान संख्या- 039 के अंतर्गत 20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर–वेतन) मद में द्वितीय किश्त के रूप में रूपये 20,00,000.00/- (रूपये बीस लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन उपभोग करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करतीं हैं :-

(1) उपरोक्त स्वीकृत धनराशि वित्तीय वर्ष 2023-24 में आहरण वित्त अधिकारी,भाषा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा आहरित करके अध्यक्ष , राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान ,लखनऊ को भुगतान की जायेगी को भुगतान किया जाएगा ।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि कोषागार से एकमुश्त आहरित करने के बजाय आवश्यकतानुसार व्यय की सीमा तक ही आहरित की जायेगी तथा उक्त धनराशि को राजकोष से आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जाएगा |

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में उसी प्रयोजन के लिए व्यय की जायेगी ,जिसके लिए यह स्वीकृत की जा रही है तथा इसका व्यय विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन/विभाग को 27 मार्च, 2024 तक अवश्य उपलब्ध करायें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) उक्त पुरस्कार का वितरण शासन द्वारा अनुमन्य पुरस्कार नियमावली के अनुसार ही किया जायेगा |

(5) उक्त धनराशि वचनबद्ध मदों पर वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग -1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक :17 मार्च, 2023 में निर्गत मितव्ययिता सम्बन्धी दिशा – निर्देशों के अंतर्गत व्यय की जायेंगी तथा उक्त अनुदान पर वही नियम लागू होंगे जो वित्तीय नियम संग्रह खंड- 5, भाग-1 के अध्याय-16 में उल्लिखित नियमावली में दिये गए हैं |

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 20,00,000/- (रूपये बीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 039 लेखा शीर्षक 2202031041000 राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान, लखनऊ को राज्य कर्मचारियों को उनकी मौलिक साहित्यिक सेवा के लिए पुरस्कृत किये जाने के लिए अनुदान मानक मद 20 सहायता अनुदान – सामान्य (गैर –वेतन) के नामे डाला जाएगा |

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न अशासकीय संख्या- ई -7-569/दस /-2023-24, दिनांक: 05-03-2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जितेन्द्र कुमार)
अपर मुख्य सचिव |

संख्या -47/2024/रा0क0सा0सं0/002-21-4002-001-2-2022,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र० प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा –परीक्षा) प्रथम /द्वितीय, उ०प्र० लखनऊ/प्रयागराज।
3- निदेशक,स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र० प्रयागराज।
4- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी,उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान,लखनऊ|
5- कोषाधिकारी,जवाहर भवन,उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6- बजट आवंटन अधिकारी,भाषा विभाग,उत्तर प्रदेश शासन|
7- वित्त(व्यय –नियंत्रण) अनुभाग -7।
8- वित्त (आय –व्ययक) अनुभाग-1
9- भाषा (उर्दू) अनुभाग -4, उत्तर प्रदेश शासन|
10- आहरण एवं वितरण अधिकारी, भाषा विभाग,उत्तर प्रदेश शासन|

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

11-अनुभागीय आदेश पुस्तिका ।

आज्ञा से,

जितेन्द्र कुमार,
अपर मुख्य सचिव ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।